न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी ब्रजमोहन नोगिया (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या : 103/2015

अपीलान्टस :–

1. चौथाराम पुत्र सरूप जी जाति घांची उम्र 35 वर्ष, निवासी घांचियो का बास, महोदव जी मंदिर के पास, सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)
2. श्रीमती पोनी बाई पत्नी सरूप जी जाति घांची उम्र 65 वर्ष, निवासी घांचियो का बास, महोदव जी मंदिर के पास, सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)
3. वर्षा पुत्री सरूप जी जाति घांची उम्र 21 वर्ष, निवासी घांचियो का बास, महोदव जी मंदिर के पास, सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)
4. दिनेष पुत्र सरूप जी जाति घांची उम्र 31 वर्ष, निवासी घांचियो का बास, महोदव जी मंदिर के पास, सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)
5. नेनाराम पुत्र सरूप जी जाति घांची उम्र 29 वर्ष, निवासी घांचियो का बास, महोदव जी मंदिर के पास, सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्टस :–

1. विरमराम पुत्र वनाजी जाति घांची उम्र बालिक निवासी छोड़ा तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)
2. मांगीलाल पुत्र थानाजी जाति घांची उम्र बालिक निवासी छोड़ा तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)
3. श्रीमती तीजो पत्नी थानाजी जाति घांची उम्र बालिक निवासी छोड़ा तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी
5. कमलादेवी पत्नी रमेष चन्द्र जाति मीणा उम्र बालिक निवासी छोड़ा तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

राजस्व अपील अधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

1. तरूण उपाध्याय विद्वान अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से
2. नारायणलाल कुमावत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 05-04-2021

अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 इस आशय की प्रस्तुत की कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अपीलान्टस के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 के तहत् अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा सरहद ग्राम छोड़ा पटवार हल्का दूदापुरा तहसील देसूरी जिला पाली में खसरा नम्बर 873 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन बेरा, खसरा नम्बर 874 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन सड़ा, खसरा नम्बर 875 रकबा 0.44 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 876 रकबा 0.47 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 877 रकबा 0.89 हैक्टेयर किस्म जाव दोयम कुल खसरा 5 कुल रकबा 1.87 हैक्टेयर स्थित है। जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की संयुक्त सामलात कब्जा काश्त सुदा है। जो वादग्रस्त आराजी है। जिसमें वादी संख्या 1 का 1/3 वां हिस्सा, वादी संख्या 2 व 3 के पिता/पति थाना पुत्र वनाजी का 1/3 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का पिता/पति सरूप पुत्र वनाजी का 1/3 वां हिस्सा आता है तथा वादी संख्या 1 वीरमराम व वादी संख्या 2 व 3 के पिता/पति थानाराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता/पति सरूपराम तीनों वनाजी के सगे पुत्र है तथा तीनों सगे भाई है एवं हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है। जिनके मध्य 25–30 वर्ष पूर्व पारिवारिक मौखित बंटवारा हुआ। प्रतिवादीगण के पिता/पति स्व. सरूपरामजी, पोमाजी के समाज के रीति रिवाज अनुसार गोद गये । तब से प्रतिवादीगण के पिता/पति की वल्दीयत सरूप गोद पुत्र पोमाजी के रूप में जानी जा रही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

जिससे प्रतिवादीगण के पिता/पति सरूपराम 25–30 वर्षो से गोद पिता पोमाजी के सम्पति का उपयोग उपभोग कर रहा है तथा वादग्रस्त आराजी में अपने 1/3 वें हिस्से का पारिवारिक बंटवारा अनुसार वादीगण के हक में हकर्तक कर दिया था। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण के पिता/पति सरूप पुत्र वना के 1/3 वें हिस्से पर भी 25–30 वर्षो से वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है अर्थात् वादग्रस्त आराजी पर मौके पर वादी संख्या 1 का 1/2 वें हिस्से पर एवं वादी संख्या 2 व 3 का 1/2 वें हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। बिगाड़ी एवं सिंचाई कर रसीद का भुगतान वादीगण ने किया है। मौखिक बंटवारा सरूप ने दिनांक 16.10.2002 को लिखित में निष्पादित किया है। प्रतिवादी के पिता/पति सरूप पुत्र वनाजी ने अपने 1/3 वें हिस्से को दिनांक 16.10.2002 के हकर्तक अनुसार प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा बकाया नहीं है। इस पर वादीगण का 25–30 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर वादीगण को सरूप के 1/3 वें हिस्से पर खातेदार हक अधिकार प्राप्त हो गये है। सरूप का राजस्व रेकर्ड में नाम होने से उनकी मृत्यु हो जाने से उनके स्थान पर प्रतिवादीगण का नाम गलत दर्ज हो गया है। जबकि मौके पर उनका कोई कब्जा काश्त नहीं है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी में वादी संख्या 1 को 1/2 वां हिस्सा व वादी संख्या 2 व 3 को 1/2 वें हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें।

जिस पर वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को बावजूद समन तामिल के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रतिवादीगण ने कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात् वाद वादी के साक्ष्य हेतु नियत किया गया। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में अपने तीन साक्ष्य प्रस्तुत की गई। वादी स्वंय वीरमराम ने अपने साक्ष्य में बताया कि वादग्रस्त आराजी में सम्पूर्ण आराजी के 1/2 वें हिस्से पर एवं 1/2 वें हिस्से पर वादी संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त 30, 40 वर्षो से है। सरूपराम के पोमाजी के गोद चले जाने से उनका हिस्सा 1/3 वां दिनांक 16.10.2002 के जरिये मेरे व थानाराम के पक्ष में तर्क कर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

दिया था। जो लिखत प्रदर्श–EXP 3 है। जिसकी फोटो प्रति EXP 3A है। प्रतिवादी के पिता सरूपराम की मृत्यु होने से अपना नाम राजस्व रेकर्ड में होने से उनके स्थान पर प्रतिवादीगण का नाम गलत दर्ज हो गया है। जबकि मौके पर इनका कोई कब्जा काश्त नहीं है। इसलिये प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में से हटाकर दावा डिक्री किया जावें और विवादित आराजी में 1/2 वां हिस्सा मेरे एवं 1/2 वां हिस्सा वादी तीजो एवं मांगीलाल के नाम का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जावें। गवाह PW 2 तीजो ने अपने साक्ष्य में बताया कि सम्पूर्ण आराजी के 1/2 वें हिस्से पर मेरे व मांगीलाल का व 1/2 वें हिस्से पर मेरे देवर वीरमराम का कब्जा काश्त 30–40 वर्षो से चला आ रहा है। प्रतिवादी के पिता सरूपराम गोद पुत्र पोमाजी की मृत्यु होने से उनका नाम राजस्व रेकर्ड में होने से प्रतिवादीगण का नाम गलत दर्ज हो गया है। इसलिये प्रतिवादीगण का नाम हटाकर दावा डिक्री किया जावें। गवाह PW 3 के रूप में सवाराम पुत्र भीमाजी देवासी ने बयान किया कि विवादित आराजी पर लगभग 30–40 वर्षो से 1/2 वें हिस्से पर वीरमराम व 1/2 वे हिस्से पर थानाराम का कब्जा काश्त है। थानाराम की मृत्यु के बाद उनके वारिस तीजो व मांगीलाल का कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण का विवादग्रस्त जमीन पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। मौखित साक्ष्य के अलावा वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य EXP 1 जमाबंदी संवत् 2063 से 2066, नक्शा ट्रेस EXP 2 लिखत दिनांक 16.10.2002 EXP 3A प्रस्तुत किये। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई करते हुये निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2011 पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने इस न्यायालय में यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2011 जो उपखण्ड अधिकारी देसूरी के राजस्व वाद संख्या 44/2009 बअनवान वीरमराम वगैरा बनाम चौथाराम वगैरा में पारित किया, के विरूद्व प्रस्तुत की। जो अपील इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर व रेस्पोडेन्ट को जरिये समन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। तत्पश्चात् दोनों पक्षकारों की बहस सुनी गई।

अपीलान्टस ने बहस के दौरान अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्टस ग्राम छोड़ा तहसील देसूरी में नहीं

रहते है और ग्राम छोड़ा में अपीलान्टस का कोई मकान नहीं है। उसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने वाद के समन ग्राम छोड़ा के पते पर भिजवाये। तामिल कुनिन्दा से मिलावट कर गलत व झूठी रिपोर्ट करवायी। चौथाराम, नेनाराम व दिनेश के समन पर बिल्कुल गलत व झूठी रिपोर्ट करवायी कि उसका मकान खुला था, जिसमें उसकी माता निवास करती है, समन की परत लेने को कहा तो लेने से इंकार कर दिया और मौतबिरान से अरूबरू समन की एक पुस्त आबाद मकान पर चस्पा की गई। इसी तरह पौनी बाई व वर्षा के समन पर भी बिल्कुल झूठी रिपोर्ट करवायी की समन की एक परत लेने को कहा तो लेने से इंकार कर दिया, मकान खुला था मौतबिरान के अरूबरू समन की एक परत आबाद मकान पर चस्पा की गई और पांचो समन पर मौतबिरान के रूप में वागराम के अंगुठे निशान व मूलसिंह के हस्ताक्षर होना बताया। अपीलान्टस का ग्राम छोड़ा में कोई मकान ही नहीं है। इस प्रकार अपीलान्टस पर समन की गलत व झूठी तामिल चस्पानगी रूप में बताई गई और गलत व झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्व दिनांक 26.08.2010 को एक पक्षीय कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.08.2010 को अपीलान्ट के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही पारित करने में विधिवत् तथ्यों की भूल की है। पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 18.06.2009 को ही वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया और अपीलान्टस को जरिये समन तलब किये जाने के आदेश पारित किये और दिनांक 18.06.2009 को ही समन जारी किये गये और पत्रावली दिनांक 14.07.2009 को नियत की गई। दिनांक 14.07.2009 को पीठासीन अधिकारी दौरे पर/छुट्टी में थे। पत्रावली दिनांक 17.08.2009 को पीठासीन अधिकारी दौरे पर/छुट्टी में थे। इसके आगे लगातार पेशीयों पर पीठासीन अधिकारी दौरे पर/छुट्टी में थे तथा दिनांक 26.08.2010 को पेशी निहित की गई। पत्रावली पर दिनांक 18.06.2009 को जो समन पेशी तारीख 14.07.2009 को जारी किये गये थे। उन्हीं समन पर ऊपर उल्लेखित अनुसार गलत व झूठी रिपोर्ट थी। दिनांक 14.07.2009 से 22.07.2010 तक अपीलान्टस के विरूद्व किसी तरह के कोई आदेश पारित नहीं किये गये थे। उसके पश्चात् दिनांक 26.08.2010 को पेशी तारीख 17.08.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2009 के समन पर आई उपरोक्त गलत व झूठी रिपोर्ट को आधार बनाकर एक पक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किये। जो विधि विरूद्व है। नोटिस की सारी कार्यवाही गलत व झूठी की गई। पत्रावली के आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 18.07.2009 के बाद समन किसी के नाम जारी नहीं किये गये। उसके बावजूद पत्रावली में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के नाम के समन दिनांक 14.07.2009 को जारी करना व पेशी तारीख दिनांक 17.08.2009 के लिये जारी करना इन्द्राज किये हुये समन पत्रावली में लगे हुये है। जिन पर जारी करने वाले किसी अधिकारी के कोई हस्ताक्षर नहीं है और वे समन दिनांक 29.07. 2009 को तामिल होना बताये गये है। इस प्रकार समन तलब की सारी कार्यवाही गलत व झूठी रूप से की गई। दिनांक 18.06.2009 को प्रथम बार अपीलान्टस को जरिये समन तलब करने के आदेश पारित किये गये थे। सम्पूर्ण आदेशिका में अपीलान्टस के नाम के समन किन आउटवर्ड नम्बर के जरिये जारी किये गये थे, यह कहीं भी कुछ भी दर्ज नहीं है। समन के अवलोकन से स्पष्ट है कि वे समन दिनांक 18. 06.2009 को जारी करने का उल्लेख किया गया। परन्तु आदेशिका में समन जारी करने का कई उल्लेख नहीं किया गया और समन के ऊपर जो नम्बर व तारीख दर्ज है वह 19.06.2009 अंकित है। इसी तरह रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के नाम जो समन जारी करने का उल्लेख किया गया, वह समन भी दिनांक 14.07.2009 को जारी करना बताया गया। परन्तु सम्पूर्ण आदेशिका में दिनांक 14.07.2009 को कोई समन रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के नाम पेश किये गये हो और जारी किये गये हो इसका भी कोई उल्लेख भी आदेशिका व समन पर नहीं है। इससे स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही विधि विरूद्व की गई। अपीलान्टस के नाम दिनांक 18.06.2009 को समन जारी करने के आदेश दिये गये थे। उसमें कहीं भी समन चस्पानगी के जरिये तामिल जाने हो ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया और न्यायालय के आदेश के बिना अपीलान्टस के नाम के समन चस्पानगी के जरिये तामिल करना समन पर दर्ज किया गया। जो न्यायालय के आदेश के बिना किया ही नहीं जा सकता। समनों को निकाला जाना एवं उनके तामिल बाबत् सीपीसी में स्पष्ट प्रावधान है। आदेश 5 नियम 1 समन बाबत् स्पष्ट रूप से

प्रावधान करता है कि समन न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा जो वह नियुक्त करे, हस्ताक्षरित होगा। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के नाम जो समन जारी करना बताया गया वह किसी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। आदेश 5 नियम 2 यह स्पष्ट प्रावधान करता है कि हर समन के साथ वादपत्र की एक प्रति होगी। पत्रावली पर अपीलान्टस के नाम जो समन जारी किये गये उन समन के साथ वादपत्र की कोई प्रति नहीं थी। इसी प्रकार आदेश 5 नियम 17 यह स्पष्ट प्रावधान करता है कि समन की प्रति चस्पानगी की जाती है तो उस पर यह रिपोर्ट होगी कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वे कौनसी परिस्थितियां थी जिनमें उसने ऐसा किया और जिसमें उस व्यक्ति का नाम व पता कथित होगा। जिसने गृह पहचाना था जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई। अपीलान्टस के नाम जो समन पत्रावली पर है। उनमें जिन मौतबिरान वागाराम व मूलसिंह का उल्लेख है। उनकी कोई वल्दीयत समन पर नहीं है और यह भी दर्ज नहीं है कि उन्होनें गृह को पहचाना हो और अपीलान्टस को पहचाना हो तथा आदेश 5 नियम 19 व 20 बाबत् प्रावधानों का उल्लेख करते हुये पत्रावली पर अपीलान्ट को गलत व झूठी रिपोर्ट के आधार पर समन तामिल बताया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 यह जानते हुये भी अपीलान्टस ग्राम छोड़ा में नहीं रहते है, उनका ग्राम छोड़ा में कोई मकान नहीं है उसके बावजूद भी तामिल कुनिन्दा से गलत व झूठी रिपोर्ट करवाकर अपीलान्टस के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही कराते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने संयुक्त वादग्रस्त आराजी को संयुक्त सामलात खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि बताई। जो बिल्कुल गलत व झूठे तथ्य है। अपीलान्टस के पूर्वज सरूपजी का भी उसमें 1/3 हिस्सा आता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने 25–30 वर्षो पूर्व पारिवारिक मौखक बंटवारा होना के कथन भी गलत व झूठे किये है। ऐसा कोई मौखिक बंटवारा किया ही नहीं है। पत्रावली पर प्रदर्श–3 लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया व फर्जी व कूटरचित था। जिस पर सभी के अंगुठे निशान बताये गये थे और सरूपराम जी का कूटरचित अंगुठे निशान बताया गया। तथाकथित लिखत सरूपजी ने कभी नहीं किया। पत्रावली पर प्रदर्श–P3 दस्तावेज बताया गया व दस्तावेज विधि

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अनुसार ड्युली स्टाम्प पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक था। सम्पूर्ण भूमि में से 1/3 वां हिस्सा जो सरूपजी की थी, उसमें बिना किसी आधार व कारण के रेस्पोडेन्ट के नाम गलत रूप से दर्ज करवा दिया गया। रेस्पोडेन्ट को अपीलान्टस की भूमि में एडवर्स पजेशन के आधार पर कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं व अंतिम रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2011 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया। साथ ही आदेश दिनांक 26.08.2010 को निरस्त करने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपील में अपीलान्टस ने मुख्य रूप से यह उजर लिया कि समन की तामिल विधिवत् रूप से नहीं करवायी गई व तामिल रिपोर्ट फर्जी व कूटरचित है। अपीलान्टस अपने अपील में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करना बताते हैं तथा नोटिस चस्पा करना भी बताते हैं, लेकिन अपीलान्टस उस नोटिस पर की गई तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट को रेस्पोडेन्ट से मिलावट कर फर्जी व कूटरचित रिपोर्ट बताकर तामिल नहीं होने का कथन करते है। जबकि पत्रावली पर उक्त तामिल रिपोर्ट फर्जी व कूटरचित हो। ऐसा पत्रावली पर कोई साक्ष्य सबूत नहीं है, तथा तामिल रिपोर्ट तामिल कुनिन्दा ने फर्जी व कूटरचित तरीके से तैयार की हो तो उस संबंध में अपीलान्ट ने किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई शिकायत आदि या अन्य कोई कार्यवाही नहीं की है। जिससे स्पष्ट है कि तामिल कुनिन्दा ने कोई फर्जी व कूटरचित रिपोर्ट तैयार नहीं की और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को वाद दर्ज रजिस्टर्ड किये जाने पर ही जरिये नोटिस तलब किया। जो नोटिस तामिल कुनिन्दा द्वारा नोटिस में दर्ज पतों पर तामिल करवाने पर प्रतिवादी के घर प्रतिवादी की माता मिली तथा मकान खुला मिला और नोटिस लेने का कहा तो नोटिस लेने से इंकार किया। तब प्रतिवादी चौथाराम, नेनाराम व दिनेश कुमार के समन पर तामिल कुनिन्दा ने मौतबिरान वागाराम व मूलसिंह की उपस्थिति में उनके नोटिसों पर यह रिपोर्ट कि *"उनका मकान खुला था, जिसमें उनकी माता निवास करती है। समन की परत लेने का कहा, तो लेने से इंकार कर दिया और मौतबिरान के अरूबरू समन की एक पुस्त आबाद मकान पर चस्पा की गई।"* इसी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

तरह पोनी बाई व वर्षा के समन भी तामिल कुनिन्दा द्वारा इस रिपोर्ट के साथ समन की एक परत लेने को कहा तो लेने से इंकार कर दिया। मकान खुला था मौतबिरान के अरूबरू समन की एक परत आबाद मकान पर चस्पा की गई। इस प्रकार सभी प्रतिवादीयों की समनों की विधिवत् रूप से तामिल करवाते हुये उस पर मौतबिरान के उपस्थित रहने के मैातबिरान वागाराम के अंगुठे निशान व मूलसिंह के हस्ताक्षर करवाये। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को विधिवत् रूप से नोटिस तामिल कराये एवं जानबूझकर लेने से इंकार किया तथा प्रतिवादीगण को नोटिस चस्पानगी की दिनांक से ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद की जानकारी हो गई थी। उसके बावजूद भी जानबूझ कर उक्त वाद में उपस्थित नहीं हुये। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी को ज्ञात था कि वाद प्रस्तुत हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिवादी जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। ऐसी स्थिति में तामिल की अनियमितता को आधार बनाते हुये अपीलान्टस द्वारा जो देरीना अपील प्रस्तुत की। जो निरस्त करने योग्य है। इस संबंध में अधिवक्ता ने न्यायिक नजीर ओमप्रकाश बनाम लाला 1995 DNJ राजस्थान 567, नेतराम वगैरा बनाम सुरज वगैरा RRT 2005(1) 235, अन्नाराम माली बनाम श्रीराम टेडर्स 2019(1) CJ (Civil) 329 प्रस्तुत की। साथ ही कथन किया कि अपीलान्टस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में सभी प्रतिवादीगण ग्राम छोड़ा तहसील देसूरी निवासी है। जबकि अपीलान्टस सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर के निवासी है तथा ग्राम छोड़ा में अपीलान्टस का कोई मकान नहीं है तथा कोई संबंध नहीं है, न ही पूरी अपील में अपीलान्टस ने अपना पैतृक निवास व रहवास ग्राम छोड़ा बताया है। ऐसी स्थिति में जो अपीलान्टस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं हैं। उनको उक्त अपील प्रस्तुत करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। साथ ही रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि प्रतिवादीगण के पूर्वज सरूपजी द्वारा दिनांक 16.10.2002 को वादग्रस्त खातेदारी में स्थित हक हिस्सा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में त्याग कर 25–30 वर्षो पूर्व पोमाजी के गोद चले गये थे। तब से उक्त कृषि भूमि पर वादीगण रेस्पोडेन्ट का खातेदारी

हक अधिकार स्थित है। लिखत दिनांक 16.10.2002 को अपीलान्टस ने फर्जी व कूटरचित बताया है तथा जिस पर सरूपजी के अंगुठे निशान भी फर्जी व कूटरचित बताये है। जिसकी जानकारी अपीलान्टस को अपील प्रस्तुत करने से ही है। लेकिन आज दिन तक लिखत दिनांक 16.10.2002 के फर्जी व कूटरचित होने बाबत् किसी भी सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि सरूपजी ने अपने जीवनकाल में ही लिखत दिनांक 16.10.2002 के जरिये वादग्रस्त कृषि भूमि में से अपने हक हिस्से को त्याग कर पोमाजी के गोद चले गये थे। करीबन 25–30 वर्षो पूर्व से वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण का बतौर खातेदार हक अधिकार स्थित है और एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार हक अधिकार प्राप्त हो गये है। यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद की जानकारी नोटिस चस्पानगी की दिनांक 26.08.2010 से ही प्रतिवादी को हो गया था। उसके बावजूद भी जानबूझकर देरी की और करीबन 6 साल बाद अपील पेश की। जो म्याद बाहर होने से भी खारिज करने योग्य है तथा अधिवक्ता ने यह भी कथन किया अपीलान्टस द्वारा यह कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत समनों पर तामिल कुनिन्दा द्वारा वादी से मिलकर फर्जी व कूटरचित रिपोर्ट तैयार की गई। जबकि पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज व साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं है। जिससे से यह साबित होता हो कि तामिल कुनिन्दा ने प्रतिवादी के समनों पर फर्जी व कूटरचित रिपोर्ट की हो। इससे स्पष्ट है कि तामिल कुनिन्दा ने विधिवत् रूप से नोटिस लेने को कहने पर इंकार करने पर नोटिस की चस्पानगी गवाहों की उपस्थिति में की गई। ऐसे नोटिस को विधिवत् तामिल मानी जाती है। इस संबंध में प्रमुख न्यायिक नजीर इन्दु भूषण बनाम मुन्नालाल 2007(2) CCC 107 SC में निर्णित किया कि

Sevice of summons thought process of court in mandatory – Several process servers gave notice relating to service and their endorsements sufficient to show service of notice – No material to show that such reports were false oe erroneous – Order rejecting application to set aside exparte decree passed in appeal upheld.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

ऐसी स्थिति में जब पत्रावली पर तामिल कुनिन्दा द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट झूठी व त्रुटिपूर्ण हो ऐसे कोई दस्तावेज या सबुत पत्रावली पर नहीं हैं तो विधिवत् रूप से तामिल मानी जाती है। साथ ही कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में किसी तरह से पक्षकार नहीं थी। जिसके विरूद्व दावा ही नहीं चला उसके विरूद्व अपील नहीं चल सकती। उसके बावजूद भी अपीलान्ट ने विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को पक्षकार बनाते हुये उक्त अपील पेश की। जो अपील खारिज करने योग्य है। साथ ही कथन किया कि प्रतिवादी को विधिवत् रूप से उपरोक्त प्रकार से नोटिस तामिल होने के बावजूद भी व वाद की जानकारी होने की बावजूद भी प्रतिवादी ने कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया और वादीगण के वाद का खण्डन नहीं किया, न ही वादी के वाद के खण्डन हेतु साक्ष्य सबूत व दस्तावेज प्रस्तुत किये और वादीगण ने अपने वाद को साक्ष्य सबूत व दस्तावेजों से साबित किया। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय व डिक्री पारित की। जो साक्ष्य सबूतों व दस्तावेजों के आधार पर विधिवत् रूप से पारित की। जिसके विरूद्व यह अपील खारिज करने योग्य है।

हमने दोनों पक्षकारों के बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व साक्ष्य सबूतों का अवलोकन किया। जहां तक प्रतिवादीगण के नोटिस के तामिल के बाबत् तामिल कुनिन्दा के रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये थे। जो नोटिस तामिल कुनिन्दा द्वारा नोटिस में दर्ज नाम पते पर चस्पा कर तामिल करवायी। नोटिस पर तामिल करवाने की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि नोटिस में दर्ज पते के निवास पर प्रतिवादीगण की माता मिली। जिनको तामिल कुनिन्दा द्वारा नोटिस लेने को कहा, लेकिन नोटिस लेने से इंकार करने पर तामिल कुनिन्दा ने अरूबरू मौतबिरान वागाराम व मूलसिंह के नोटिस की एक पुस्त मकान पर चस्पा की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस तामिल की प्रक्रिया के प्रतिवादीगण को नोटिस तामिल करवाये गये। लेकिन प्रतिवादीगण जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद में उपस्थित नहीं हुये। जबकि तामिल

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

कुनिन्दा द्वारा नोटिस चस्पानगी की दिनांक से ही प्रतिवादीगण को वाद की जानकारी होना स्पष्ट है। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर DNJ 1995 राजस्थान 568 व RRT 2005(1) Pg. 2235 हस्तगत प्रकरण में चस्पा होती है। जिसमें यह निर्णित किया गया है कि तामिल कि अनियमितता के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय व डिक्री को निरस्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। जहां प्रतिवादी को वाद की जानकारी होने के बावजूद भी जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं होते है। हस्तगत प्रकरण में भी प्रतिवादीगण को तामिल कुनिन्दा के नोटिस चस्पानगी के दिनांक से ही जानकारी हो गई थी। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कभी उपस्थित नहीं रहे। जहां तक तामिल कुनिन्दा के नोटिस की रिपोर्ट फर्जी व कूटरचित होने का प्रश्न है, तो अपीलान्टस ने तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट फर्जी व कूटरचित हो। इस संबंध में भी किसी भी सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही व शिकायत नहीं की तथा पत्रावली पर उपलब्ध ऐसे कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं है कि जिससे यह स्पष्ट होता हो कि तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट फर्जी व कूटरचित है। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट की न्यायिक नजीर 2007(2) CCC 107 SC चस्पा होती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण को नोटिस चस्पानगी होने की दिनांक से वाद की जानकारी होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं रहे और न ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण उपस्थित होकर वादी के वाद का प्रतिवाद किया। वहीं वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने वाद को साक्ष्य सबूत व दस्तावेजों के आधार पर साबित करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद को साबित मानकर निर्णय व डिक्री पारित की। जहां तक रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को इस अपील में अपीलान्टस ने पक्षकार बनाया। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं थी। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। जहां तक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अपीलान्टस सुमेरपुर के निवासी है। जिनका ग्राम छोड़ा तहसील देसूरी से कोई संबंध नहीं है तथा रेस्पोडेन्ट वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद जिन

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया, वे ग्राम छोड़ा के निवासी है। वहीं अपीलान्टस ने भी अपने अपील में कथन किया कि ग्राम छोड़ा में उनका कोई निवास नहीं है तथा अपीलान्टस ने अपने अपील में यह कहीं कथन नहीं किया कि अपीलान्टस के पूर्वज ग्राम छोड़ा के है या ग्राम छोड़ा में निवास करते है और वादग्रस्त कृषि भूमि में उनका हक अधिकार स्थित है। इस बारे में भी कोई कथन नहीं किया तथा नहीं इस बाबत् साक्ष्य सबुत पेश किये। इस प्रकार अपीलान्टस का वादग्रस्त कृषि भूमि से कोई संबंध ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में अपीलान्टस की अपील किसी तरह से पोषनीय नहीं होने से खारिज करने योग्य है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में किसी तरह से हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अतः अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी देसूरी के राजस्व वाद संख्या 44/2009 बअनवान वीरमराम वगैरा बनाम चौथाराम वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2011 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय पर लौटायी जावें।

आज यह निर्णय दिनांक 15-04-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजमोहन नोगिया)
15/04/2021
राजस्व अपील अधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली